कार्यकारी सारांश

क्लस्टर गया फल्गु घाट 02, घाट 03 बालू घाट खनन परियोजना के लिए

ग्राम - पंचरुखाई, फतेहपुर, अंचल: - खिजरसराय, जिला- गया, बिहार

क्लस्टर क्षेत्रफल 161.60 हेक्टेयर, क्लस्टर उत्पादन 10,35,000 टन पर एनम

आवदेन करता

सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा० लि०,

मेसर्स रास एंटरप्राइजेज प्रा० लि०,

एनवायरनमेंट कन्सल्टेंट :

पी & एम सल्यूशन

(क्वालिटी कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त)

सी-88 सेक्टर 65 नॉएडा उत्तर-प्रदेश

www.pmsolution.in

Accreditation No. : NABET/EIA/1992/IA0053

कार्यकारी सारांश

➢ परियोजना और प्रस्तावक का परिचय

क्लस्टर गया फल्गु घाट 02, घाट 03 बालू घाट खनन परियोजना, ग्राम: पंचरुखाई, फतेहपुर, अंचल: - खिजरसराय, जिला: गया, बिहार में क्लस्टर क्षेत्रफल: 161.60 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत आता है।

1. घाट 02 फल्गु नदी

इस परियोजना को सर्वप्रथम मिनरल डेवलपमेंट अफसर गया को आवंटित किया गया था, पुनः बाद में सरकार के द्वारा नीलामी में ये पट्टा मेसर्स सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा. लि. संजीत कुमार को पत्रांक संख्या 325 दिनांक 14-02-2020 के द्वारा आवंटित किया गया । खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा स्थानांतरण पत्र (पत्रांक संख्या 868 दिनांक 20-02-2020) जारी किया गया ।

2. घाट 03 फल्गु नदी

इस परियोजना को पहले खनिज विकास अधिकारी, जिला खनन कार्यालय गया को आवंटित किया गया था बाद में इसे रास एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित / हस्तांतरित कर दिया गया था। (निदेशक-मुकेश कुमार) वि.वि. 3521 दिनांक 17-12-2019। स्थानांतरण पत्र संख्या 323 दिनांक 14-02-2020 के माध्यम से पट्टेदार को जारी किया गया ।

आवेदक ने ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है । इस क्लस्टर में परियोजना की 28, 74, 80,899/- रुपए का आकलन किया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना, दिनांकित 14 सितम्बर 2006 जिसे दिसम्बर 2009, और अप्रैल 2011 और 2018 में संशोधित किया गया है, के अनुसार, परियोजना गतिविधि 1 ए, के तहत श्रेणी 'बी' में आती है। ड्राफ्ट ई0 आई0 ए0/ई0 एम0 पी0 24.07.2020 **(घाट 02 फल्गु नदी)** तथा 21.07.2020 **घाट (03 फल्गु नदी)** को निर्देशित टी0ओ0आर0 के आधार पर तैयार की गई हैं। इस खदान के द्वारा पर्यावरण में होने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए वर्तमान स्थिति में पर्यावरण पर खान के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का जायजा लेना आवश्यक है।

इस क्लस्टर में परियोजना का प्रस्ताव **सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, तथा मेसर्स रास एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड)** द्वारा किया जा रहा है। प्रस्तावकर्ता ने **जिला गया** रेत खनन परियोजना से रेत खनन परियोजना के नाम **क्लस्टर गया फल्गु घाट-02, घाट-03 बालू घाट खनन परियोजना** से नदी **फल्गु**, के **क्लस्टर क्षेत्रफल:** 161.60 **हेक्टेयर** क्षेत्र पर खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है।

प्रस्ताव प्रति वर्ष लगभग **10,35,000** टन खनिज के खनन का है। प्रस्तावित **क्लस्टर में** परियोजना के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 28, 74, 80,899/-रुपये है।

- **स्थल**

1. घाट 02 फल्गु नदी

पट्टा क्षेत्र बिहार के जिला गया के **ग्राम: पंचरुखाई, खिजरसराय, अंचल- खिजरसराय,** जिला: गया, बिहार में स्थित है।

2. घाट 03 फल्गु नदी

पट्टा क्षेत्र बिहार के जिला गया के **ग्राम: फतेहपुर, तालुका: खिजरसराय,** जिला: गया, बिहार में स्थित है।

पट्टे का यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण की टोपोशीट नम्बर **72C/16, 72G/4, 72D/13, 72H/1** आता ळें स्थित पट्टा क्षेत्र **गया** के जिला **बिहार** में स्थित है।

खनन पट्टे के कोऑर्डिनेट्स (Mine lease co-ordinates):

1. घाट 02 फल्गु नदी

स्तंभ	आक्षांश	देशान्तर
A	24°58'14.04"N	85° 4'28.72"E
B	24°58'6.80"N	85° 4'38.46"E
C	24°57'51.55"N	85° 4'27.03"E
D	24°57'28.91"N	85° 3'59.22"E
E	24°57'34.89"N	85° 3'47.99"E
F	24°57'37.17"N	85° 3'51.75"E

2. घाट 03 फल्गु नदी

स्तंभ	आक्षांश	देशान्तर

A	24°57'34.89"N	85° 3'47.99"E
B	24°57'28.91"N	85° 3'59.22"E
C	24°56'43.86"N	85° 3'37.02"E
D	24°56'21.44"N	85° 3'33.17"E
E	24°56'26.45"N	85° 3'10.24"E

संयोजकता

1. घाट 02 फल्गु नदी

खिजरसराय से 1.0 किलोमेटेर की दूरी पे स्थित है| गया सबसे नज़दीक शहर है| खनन क्षेत्र में अवागमन नॅशनल हाइवे- 83 दवारा जाया जा सकता है

2. घाट 03 फल्गु नदी

खिजरसराय से 2.0 किलोमेटेर की दूरी पे स्थित है| गया सबसे नज़दीक शहर है| खनन क्षेत्र में अवागमन नॅशनल हाइवे- 83 दवारा जाया जा सकता है

परियोजना की सहज विशेषतायें

1. घाट 02 फल्गु नदी

आवेदक का नाम	सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा. लि.– संजीत कुमार
पट्टेदार का नाम और पता	सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा. लि. – संजीत कुमार
खान का नाम	गया फल्गु 02 बालू घाट खनन परियोजना
गांव	पंचरुखाई
तालुका:	खिजरसराय
जिला और राज्य	गया, बिहार
टोपोशीट संख्या	**72C/16, 72G/4, 72D/13, 72H/1**
खनिज	बालू
क्षेत्रफल हेक्टेयर में	**60.62** हेक्टेयर
पोस्टल पता	सियाराम बिल्डर और इंजीनियरिंग प्रा. लि. – संजीत कुमार

2. घाट 03 फल्गु नदी

आवेदक का नाम	मेसर्स रास एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
पट्टेदार का नाम और पता	मेसर्स रास एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड – मुकेश कुमार
खान का नाम	गया फल्गु 03 बालू घाट खनन परियोजना

गांव	फतेहपुर,
तालुका:	खिजरसराय
जिला और राज्य	गया, बिहार
टोपोशीट संख्या	**72C/16, 72G/4, 72D/13, 72H/1**
खनिज	**बालू**
क्षेत्रफल हेक्टेयर में	99.0 हेक्टेयर
पोस्टल पता	रास एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड – मुकेश कुमार

2.2 परियोजना की मूल आवश्यकताएं

1. घाट 02 फल्गु नदी

क्रम संख्या	आवश्यकताएं	मात्रा	स्रोत
1	भूमि	62.60 हेक्टेयर	यह एक **नया** खान है।
2	पानी	17.98 KLD	आस पास के गांव से
3	श्रमशक्ति	33	मुख्य रूप से आस पास के गांवों से

2. घाट 03 फल्गु नदी

क्रम संख्या	आवश्यकताएं	मात्रा	स्रोत
1	भूमि	99.0 हेक्टेयर	यह एक **नया** खान है।
2	पानी	21.21 KLD	आस पास के गांव से
3	श्रमशक्ति	38	मुख्य रूप से आस पास के गांवों से

2.3 खनन पद्वति का विवरण

खनन की विधि	खुली खदान **अर्ध्य** यांत्रिकीकृत
बेंच की उंचाई और चौड़ाई	उंचाई: 1.5 मीटर चौड़ाई: 6 मीटर
गड्ढो की अधिकतम गहराई	3 M

ड्रिलिंग

ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं हैं।

खनिज का उपयोग

बालू **का उपयोग निर्माण कार्यवो में किया जाता है सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है**

➢ खनन

यह एक ओपन – कास्ट खनन परियोजना है। कार्य अर्ध यांत्रिकी / **ओ टी ऍफ़ एम** विधि से किया जायेगा। **एक्सकैवेटर** / **जेसीबी ट्रक** / **ट्रैक्टर संयोजन** उपकरणों का **या मैन्युअल रूप से** उपयोग किया जाएगा। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

खनन 3 मीटर की गहराई तक या भूजल के 3 मीटर ऊपर तक किया जाएगा ।

खनन केवल दिन में किया जाएगा और मानसून के दौरान पूरी तरह बंद रखा जाएगा।

रिजर्व

रिजर्व की गणना के लिए खनन योग्य क्षेत्र की सीमा पर विचार सतह से 3 मीटर की अधिकतम गहराई के मद्देनजर किया गया है।

ऊपर लिखित गणना के अनुसार, **क्लस्टर** संचय अनुमानतः 10,35,000 टन है।

उत्पादन

वर्ष में लगभग **10,35,000** टन खनन किया जाएगा, जो मानसून में धीरे–धीरे भर जाएगा।

➢ स्थल सुविधाएं एवं उपयोगिताएं

जल आपूर्ति

श्रमिकों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। धूल को दबाने के लिए भी पानी की जरूरत होगी। इस क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल **39.19** KLD पानी की जरूरत होगी।

अस्थायी आवास :

श्रमिकों को विश्राम के लिए स्थल के नजदीक एक अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के लिए प्रथम उपचार दवाओं के साथ–साथ विष–रोधी दवाओं और साफ–सफाई की व्यवस्था अर्थात सेप्टिक टैंक या सामुदायिक पैखाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

पर्यावरणी स्थिति

आधाररेखा पर्यावरणी गुणत्ता का परीक्षण **मार्च** 2020 – **मई/ जून** 2020 तक के **ठंडी** मौसम के दौरान खान के चारों और 10 किलोमीटर की त्रिज्या में किया गया।

➢ **बेसलाईन आंकड़े :**

प्रस्तावित खनन के प्रति वायु, ध्वनि, जल, मृदा, पारिस्थितिकी और जैवविविधता के पर्यावरणीय आंकड़ों का संग्रह कर लिया गया है।

पर्यावरण की आधारिक स्थिति

विशेषता	आधारिक स्थिति
वायु गुणवत्ता	वायु गुणवत्ता के कुछ मानकों के अधिकतम मानों जैसे PM $_{2.5}$ (43.6 ug/m^3), PM $_{10}$ (94.8 µg/m^3) है। इन मानकों के न्यूनतम मान PM $_{2.5}$ (18.15 µg/m^3), PM $_{10}$ (33.35 µg/m^3) है, SO_2 **और** NO_2 **का मान लिमिट के अंदर है**।
शोर गुणवत्ता	शोर का अध्ययन 5 स्थानों पर किया गया। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि दिन और रात दोनों समय में शोर के स्तर सभी स्थानों पर NAAQ(राष्टीय मानंको द्वारा) निर्धारित सीमा में थे।
जल गुणवत्ता	सभी स्रातों से भूमिगत जल पेय प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सभी अवयव भारतीय मानक आईएसः10500 के मानदण्डों के अनुसार निर्धारित सीमा से कम पाये गये। सतही जल के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नमूनों के अधिकांश मानक सीपीसीबी के 'श्रेणी बी' मानकों के अनुसार उपयुक्त हैं, यह इंगित करता है कि ये स्नान इत्यादि के लिए उपयुक्त हैं।
मृदा गुणवत्ता	चिहि्नत स्थलों से लिए गए नमूनों से पता चलता है कि मिट्टी बलुअई है और इसका pH 7.83 से 8.24 के बीच है।

➢ **<u>पर्यावरण प्रबंधन योजना (इएमपी) एवं उसका कार्यान्वयन</u>**

- बैंक के संरक्षण के लिए नदी क्षेत्र से **सुरक्षित** दूरी छोड़ दिया जाएगा तथा नदी से दूर के क्षेत्रो (Paleochannels) के संरक्षण के लिए पटटा क्षेत्र की परिधि के आसपास क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा
- कार्य की अधिकतम गहराई क्षेत्र के भूजल स्तर के ऊपर रहेगी।
- स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए प्रभाव क्षेत्र में श्रमिकों और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

- वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- ऐसी गतिविधियां कम की जाएंगी जिनके फलस्वरूप सूक्ष्म तलछट नदी में पहुंच सके।
- ढुलाई और निकास मार्ग के रखरखाव के चलते परिवहन पर पड़ने वाले भार पर नियंत्रण रखा जाएगा।
- परिवहन और खनिज पदार्थों के रखरखाव के दौरान उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी को कम करने के लिए न्यूनीकरण के प्रभावशाली उपाय अपनाए जाएंगे :
- स्थानीय/मूल एवं तेजी से बढ़ने वाले जीवों के लिए सुधार कार्यक्रम का संचालन।
- मानसून ऋतु के आने के समय खनन के बंदी के दौरान नवीनीकरण योजना का क्रियान्वयन।
- संभावित आपदाओं से बचने के लिए समय पर एहतियाती उपाय अपनाने हेतु प्रभावशाली आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा प्रभावशाली निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

➢ खनन के लाभ

भौतिक लाभ

प्रस्तावित परियोजना के प्रारंभ होने से आसपास के निम्नलिखित क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे को बढावा मिलेगा।

क. सड़क परिवहन या सड़कों संपर्क में वृद्धि

ख. खनिज से अच्छे बाज़ारी अवसर मिलेंगे।

ग. हरियाली /वृक्षारोपण को बढावा

घ. समुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन (बुनियादी ढांचे)

सामाजिक लाभः

क) रोजगार में वृद्धि

ख) राजकोष में अंशदान (खनिज कि बिक्री से राजस्व प्राप्त होगा)

ग) स्वास्थ्य संबंधि गतिविधिया को बढावा

घ) शैक्षिक गतिविधियां बनाने और उनको बढ़ावा देने की योजना।

ड.) तत्कालीन समुदाय का सुदृढ़ीकरण सामुदायिक विकाय कार्यक्रम के माध्यम से सुविधा कार्यक्रम।

पर्यावरणीय लाभः

क) **वैज्ञानिक खनन से पर्यावरण दुष्प्रभाव में कमी।**

ख) **वैज्ञानिक खनन से** नदी के किनारों के आस पास पर उगी फसलों की सुरक्षा।

ग) अवैध खनन रोकने के उपाय।

- निगमित **(कार्पोरेट) सामाजिक दायित्व**

क्लस्टर परियोजना लागत की पूंजीगत लागत का 2% **(5749617.14/-)** कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के लिए आवंटित किया जाएगा। लोगों की जरूरतों और मांग को देखते हुए प्रस्तावित विभिन्न गतिविधि का निर्णय लिया जायेगा जो शिक्षा, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण बचाव,स्वास्थ्य इत्यादि से सम्बंधित होगा ।

प्रत्येक गतिविधि का निर्धारण स्थानीय प्राधिकारी और लोगों से सार्वजनिक सुनवाई के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा।

****